

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प धरमडा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 536/2021

:-आदेश:-

दिनांक 16/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत धरमडा व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धरमडा पटवार मण्डल धरमडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 107/141 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>धरमडा</u>	<u>107/141</u>	<u>दिनेश पुत्र मुखेश</u>	<u>दीपेश पुत्र मुखेश कुमार</u>

नोट - रहन यदि कोई हो तो निर्णय/आदेश की पालना रहनमुक्त के पश्चात करे।

क्रमांक :- राजस्व/2021/ 315-16

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)

2. प्रार्थी दीपेश डी0 मुखेश कुमार जाति अरुण निवासी धरमडा सूचनार्थ।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
जिला-झुन्झुनूं (राज.)

दिनांक :- 16/11/21

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुन्झुनूं (राज.)